GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

**RAJYA SABHA**
**UNSTARRED QUESTION NO. 1888**
(TO BE ANSWERED ON 17.03.2022)

**STAGNATION IN CSS**

**1888 SHRI ANAND SHARMA:**

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether large number of vacancies have arisen in the Central Secretariat Service (CSS) in various grades/Ministries;
(b) if so, the details thereof and its impact on efficiency;
(c) whether any Court restricted regular promotions for CSS only and allowed other cadres in Union or any guidelines issued by DoPT in this regard;
(d) if so, the reasons for such discrepancies in promotion policy among different cadres under the Union Government; and
(e) the details of action taken by Government to remove such discrepancies and removal of large stagnation in CSS?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)**

(a) to (e): Occurrence and filling up of vacancies arising out of retirement, resignation, voluntary retirement, promotion, transfer on deputation, termination/dismissal of service, death, etc., is an ongoing process in various Central Government Ministries/Departments. These vacancies are filled up from time to time through promotion of officers from feeder grade and/or direct recruitment through open competitive examination, in accordance with the relevant recruitment rules and guidelines governing various Cadres and directions of various Courts, if any, with the endeavor to fill up the vacancies as expeditiously as possible, by actively pursuing the matters under litigation in various courts.

*****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1888**

(दिनांक 17.03.2022 को उत्तर के लिए)

**सीएसएस में गतिरोध**

**1888. श्री आनंद शर्मा :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ग्रेड्स/मंत्रालयों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में अधिक संख्या में रिक्तियां हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यक्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या किसी न्यायालय ने केवल सीएसएस के लिए नियमित पदोन्नतियों को प्रतिबंधित किया है और केन्द्र में अन्य संवर्गों को अनुमति दी है अथवा क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति संबंधी नीति में ऐसी विसंगतियों के क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा ऐसी विसंगतियों को और सीएसएस में अत्यधिक गतिरोध को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)**

**(क) से (ङ)**: केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, सेवा की समाप्ति/बर्खास्तगी, मृत्यु आदि के कारण रिक्तियों का होना और इन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। इन रिक्तियों को विभिन्न संवर्गों को शासित करने वाले दिशानिर्देशों और संबंधित भर्ती नियमों और विभिन्न न्यायालयों के निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार फीडर ग्रेड से अधिकारियों की पदोन्नति और/अथवा खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए समय-समय पर भरा जाता है जिसमें विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें में फंसे हुए मामलों पर सक्रिय रूप से कार्य करते हुए जहां तक संभव हो सके रिक्तियों को शीघ्र भरने का प्रयास किया जाता है।

*****

https://www.staffnews.in